महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/INW-141/2019-20/3424

Date 18.02.2020

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State @ 17% w.e.f. 01.07.2019 – reg.

Ref: 1. O.M. No. 29/2019/G-3-789/X-2019-301/2000 TC Dated Lucknow, 23.10.2019 of Government of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3

2. SSA No. Pension Misc/SSA DR-161/1595 Dated 21.01.2020 received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Allahabad.

I am to enclose herewith the copy of letter received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Allahabad regarding grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State @ 17% w.e.f. 01.07.2019. The same is being placed in the official website of this office www.agker.cag.gov.in under the link "Treasury Endorsement of Orders for Other State Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

20/2/2020

Senior Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram

2. Sr. Accounts Officer (Establishment & Pension)
   Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh
   Audit Bhawan, Vibhuti Khand Gomtinagar
   Lucknow, Uttar Pradesh, Pin – 2116010
   (For information)

-Sd-

Senior Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in
फैक्स /Fax: 0471-2330242
टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

P19/IV/Inw/141
12/2/2020

P19

377875
7.2.20

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

पत्रांक:–पेंशन विविध / SSA DR-161/ 1595

दिनांक:- 21-01-2020

सेवा में,

Accountant General (A&E) Kerela, M.G. Road,

Thiruvananthapuram-695039

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेश:- 1-संख्या-29-2019/सा-3-789/दस-2019-301/2000टी0सी0, दिनांक 23-10-2019

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने कि कृपा करें ।

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय

21/1/2020

व०लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-29-2019/सा-3-789/दस-2019-301/2000टी0सी0
लखनऊ : दिनॉक 23 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महॅगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्य-13-2019/सा-3-261/दस-2019-301/2000टी0सी0 दिनांक 26 मार्च, 2019 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से महॅगाई राहत की दर 09 प्रतिशत से बढकार 12 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जुलाई, 2019 से महँगाई राहत की 05 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No. 29 /2019/G-3- 789 /X-2019-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow : 23 october , 2019

Office Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

Vide government order No. 13/2019/Sa-3- 261/ X- 2019- 301 / 2000 T.C. dated March 26, 2019 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 09 percent to 12 percent w.e.f. January 01, 2019.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more instalment of dearness relief of 05 percent w.e.f. July 01, 2019 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee, 2016.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 12 प्रतिशत से बढकर दिनॉक 01 जुलाई, 2019 से 17 प्रतिशत हो जायेगी।

3- As a consequence of the above-mentioned 05 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 12 percent to 17 percent with effect from July 01, 2019.

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners are being issued.

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप, संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81,दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार

7- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है कताक्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अत: पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

Neel Ratan Kumar
Special Secretary, Finance.

सेवा में,

(1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4)- समस्त राज्यो के महालेखाकार।

To,

(1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.

(2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.

(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

(4)- Accountants General of all states.

http://shasanadesh.up.gov.in